

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 1383**  
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

**आंध्र प्रदेश में शीत श्रृंखला और संरक्षण अवसंरचना सुविधाएं**

**1383. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में शीत श्रृंखला और संरक्षण अवसंरचना सुविधाओं के विकास या उन्नयन के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश देश भर में विशेषकर आंध्र प्रदेश में स्थापित शीत श्रृंखला और संरक्षण अवसंरचना सुविधाओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में मछली और अन्य समुद्री उत्पादों की जरूरतों को पूरा करने वाली ऐसी योजनाओं के अंतर्गत विशेषकर कडप्पा जिले में स्थापित शीत श्रृंखला और संरक्षण अवसंरचना सुविधाओं की जिलेवार कुल संख्या कितनी है;
- (घ) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में शीत श्रृंखला और संरक्षण अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए उक्त योजनाओं या परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में अपनी योजनाओं या परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसी सुविधाओं के उन्नयन पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) शीत श्रृंखला और परिरक्षण अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना)" योजना को लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला, परिरक्षण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करना है, ताकि गैर-बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, मुर्गी पालन और समुद्री/मछली (झींगा को छोड़कर) के फसलोपरांत नुकसान को कम किया जा सके। इससे उत्पादकों को एक अच्छी तरह से सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला और शीत श्रृंखला के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य और उपभोक्ताओं को साल भर खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- फार्म स्तर का बुनियादी ढांचा
- प्रसंस्करण केंद्र (अनिवार्य घटक)
- वितरण केंद्र
- प्रशीतित वैन/ प्रशीतित ट्रक/ इंसुलेटेड वैन/ मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर।
- विकिरण सुविधा की भी या तो एकीकृत परियोजना के रूप में या एकल घटक के रूप में अनुमति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र के झींगा हिस्से को ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में स्थानांतरित कर दिया गया है। ऑपरेशन ग्रीन्स के दीर्घकालिक हस्तक्षेप घटक के अंतर्गत मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में झींगा प्रसंस्करण की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत ₹693.37 करोड़ है, जिसमें ₹114.62 करोड़ की आवंटित अनुदान सहायता शामिल है।

(ख): कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत, पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (31.01.2025 तक) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सहायता से देश भर में स्थापित शीत श्रृंखला और परिरक्षण अवसंरचना सुविधाओं की राज्यवार कुल संख्या **अनुबंध -I** में दी गई है।

(ग): कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत, पिछले पांच वित्तीय वर्षों के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष (31 जनवरी, 2025 तक) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की सहायता से आंध्र प्रदेश में मछली और अन्य समुद्री उत्पादों के लिए स्थापित शीत श्रृंखला और परिरक्षण अवसंरचना सुविधाओं की कुल संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ): कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार (आंध्र प्रदेश राज्य सहित) निधि का आवंटन नहीं किया जाता है। हालांकि, पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (31.01.2025 तक) के दौरान मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में 20 कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल परियोजना लागत 745.37 करोड़ रुपये है और 165.97 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता/सब्सिडी स्वीकृत की गई है। इनमें से, उपरोक्त परियोजनाओं के लिए 111.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ङ.) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में कोई भी नई एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से वित्तीय सहायता के लिए पात्र है, बशर्ते वह योजना के लागू दिशानिर्देशों को पूरा करती हो।

\*\*\*\*\*

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु "आंध्र प्रदेश में शीत श्रृंखला और संरक्षण अवसंरचना सुविधाएं " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (31.01.2025 तक) के दौरान सीसी के तहत पूर्ण/स्थापित परियोजनाओं का राज्यवार विवरण									
क्रमांक	राज्य	पूर्ण/परिचालित	परियोजना लागत ( करोड़ रुपये में)	स्वीकृत की गई सहायता अनुदान ( ₹ करोड़ में)	जारी की गई सहायता अनुदान ( ₹ करोड़ में)	प्रसंस्करण क्षमता (एलएमटी/वर्ष)	परिरक्षण क्षमता (एलएमटी/वर्ष)	रोजगार सृजन	लाभान्वित किसान
1	अंडमान और निकोबार	1	5.00	2.81	2.81	0.2	0.27	600	9552
2	आंध्र प्रदेश	16	695.62	144.32	142.95	0.75	2.26	9600	152832
3	अरुणाचल प्रदेश	1	15.32	6.46	6.46	0.03	0.11	600	9552
4	असम	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5	बिहार	2	66.13	17.48	17.48	1.1	5.4	1200	19104
6	चंडीगढ़	0	0.00					0	0
7	छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
9	दिल्ली	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10	गोवा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
11	गुजरात	9	514.17	86.36	85.89	0.46	5.15	5400	85968
12	हरियाणा	6	134.07	42.57	41.8	0.07	1.92	3600	57312
13	हिमाचल प्रदेश	4	93.96	36.6	36.11	0.27	0.3	2400	38208
14	जम्मू और कश्मीर	2	18.15	7.46	7.46	0	0.34	1200	19104
15	झारखंड	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
16	कर्नाटक	9	297.19	66.42	65.73	0.29	5.33	5400	85968
17	केरल	3	53.52	14.58	14.21	0.07	0.7	1800	28656
18	लद्दाख	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
20	मध्य प्रदेश	5	110.55	39.34	38.65	0.45	0.86	3000	47760
21	महाराष्ट्र	26	702.82	162.89	162.37	1.98	32.11	15600	248352
22	मणिपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
23	मेघालय	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
24	मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
25	नागालैंड	1	18.59	6.98	6.98	0.03	0.32	600	9552
26	ओडिशा	2	102.47	20	18.8	0.17	0.16	1200	19104
27	पांडिचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
28	पंजाब	10	198.18	54.66	54.53	0.74	2.72	6000	95520
29	राजस्थान	8	199.46	50.19	50.19	0.82	1.74	4800	76416
30	सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

<b>31</b>	तमिलनाडु	10	303.1	69.45	68.47	0.76	4.59	6000	95520
<b>32</b>	तेलंगाना	6	248.03	49.32	46.64	0.34	4.78	3600	57312
<b>33</b>	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
<b>34</b>	उत्तर प्रदेश	7	186.8	53.06	52.67	0.31	4.42	4200	66864
<b>35</b>	उत्तराखंड	13	238.49	119	117.63	1.32	2.4	7800	124176
<b>36</b>	पश्चिम बंगाल	4	129.82	30.87	30.7	0.36	0.68	2400	38208
	<b>कुल</b>	<b>145</b>	<b>4331.44</b>	<b>1080.82</b>	<b>1068.53</b>	<b>10.52</b>	<b>76.56</b>	<b>87000</b>	<b>1385040</b>

आंध्र प्रदेश में कोल्ड चेन और संरक्षण अवसंरचना सुविधाएं " के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 के भाग (सी) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (31.01.2025 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्ण/स्थापित कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थिति													
क्रमांक	परियोजना	क्षेत्र	ज़िला	राज्य	अनुमोदन का दिनांक	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान (₹ करोड़ में)	जारी अनुदान राशि (करोड़ रुपये में)	कुल परिरक्षण क्षमता (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)	कुल प्रसंस्करण क्षमता (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)	रोजगार सृजित/सृजित होने वाला	लाभान्वित/लाभपाने वाले किसानों की संख्या	स्थिति
1	वीरभद्र एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	समुद्री एवं मत्स्य पालन	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	28-09-2020	36.38	9.88	9.88	0.05	0.04	600	9552	पूर्ण
2	जया लक्ष्मी सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	समुद्री एवं मत्स्य पालन	कृष्ण	आंध्र प्रदेश	23-11-2020	74.23	10	9.63	0.09	0.04	600	9552	पूर्ण
3	कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	समुद्री एवं मत्स्य पालन	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	24-11-2020	71.16	9.95	9.95	0.11	0.08	600	9552	पूर्ण
4	वर्मा मरीन	समुद्री एवं मत्स्य पालन	पश्चिमी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	23-11-2020	26.44	9.9	9.83	0.06	0.05	600	9552	पूर्ण
5	अपर्णा मरीन एक्सपोर्ट्स	समुद्री एवं मत्स्य पालन	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	31-03-2021	40.67	9.53	9.53	0.06	0.11	600	9552	पूर्ण
6	मुलपुरी एका प्रोसेसर्स	समुद्री एवं मत्स्य पालन	कृष्ण	आंध्र प्रदेश	31-03-2021	37.07	10	9.58	0.09	0.09	600	9552	पूर्ण
7	कृष्णा कोस्टल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मत्स्य/समुद्री	कृष्ण	आंध्र प्रदेश	31-05-2021	6.65	1.69	1.62	0	0.05	600	9552	पूर्ण
8	सैम एका एक्सपोर्ट्स एलएलपी	समुद्री एवं मत्स्य पालन	कृष्ण	आंध्र प्रदेश	25-05-2022	43.49	10	9.56	0.03	0.05	600	9552	पूर्ण
कुल						336.09	70.95	69.58	0.49	0.51	4800	76416	